भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4210
13.12.2019 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक कचरे का आयात

4210. श्री पी॰पी॰ चौधरी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में प्लास्टिक कचरे के अवैध आयात की घटनाओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग पर ध्यान दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गुजरात क्षेत्र, मेरठ क्षेत्र, तिरूवनंतपुरम क्षेत्र और मुंबई III क्षेत्र में प्लास्टिक अपशिष्ट के अवैध आयात की कुछ घटनाओं की रिपोर्ट मिली हैं। इन मामलों में प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की गई है जिनमें रिडेम्पशन जुर्माना लगाना, सज़ा देना, पुन: निर्यात के लिए निर्देश देना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के दिनांक 1 मार्च, 2019 की सा.का.नि. 178 (अ) की अधिसूचना खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) संशोधन नियमावली, 2019 के द्वारा देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात को प्रतिबंधित किया है, जो 1 सितम्बर, 2019 से प्रभावी है।

(ग) से (ड.) : प्लास्टिक का उपयोग करने वाले उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड के मालिकों का प्लास्टिक अपशिष्ट के पर्यावरण के अनुरूप प्रबंधन हेतु प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम, 2016 के अनुसार विस्तारित उत्पादक दायित्व (ईपीआर) के सिद्धांत के आधार पर अपशिष्ट संग्रह प्रणाली के लिए कार्य रीतियां तैयार करने हेतु अधिदेशित किया गया है। इन नियमों के अनुसार, प्लास्टिक शीट या उसके जैसे अन्य प्लास्टिक, जो बहु-परतीय पैकेजिंग का अभिन्न हिस्सा नहीं है और वस्तु को पैक करने, लपेटने के लिए इस्तेमाल की गई प्लास्टिक शीट से बना कवर, जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों द्वारा उपयोग किए गए प्लास्टिक कवर भी शामिल हैं, की मोटाई, उन उत्पादों को छोड़कर जिनमें ऐसी प्लास्टिक शीट की मोटाई उत्पादक की कार्य-क्षमता को खराब कर सकती है, 50 माइक्रॉन से कम नहीं होगी। इसके अलावा, मोटाई में पचास माइक्रॉन से कम के शुद्ध या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने कैरी बैगों को भी प्रतिबंधित किया गया है।

****